



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 भाद्र 1942 (श0)

(सं0 पटना 549) पटना, शुक्रवार, 11 सितम्बर 2020

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचना

21 जुलाई 2020

सं0 सी/बी0जी0एम0-4702/01(खंड) 3830/सी0—बोध गया मन्दिर अधिनियम, 1949 (बिहार अधिनियम-17, 1949) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बोधगया मन्दिर, भूमि और इसकी सम्पत्ति का प्रबंधन और नियंत्रण के निमित्त दिनांक-17 जुलाई, 2020 की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए समिति का निम्नरूपेण पुनर्गठन करते हैं :-

1	जिला पदाधिकारी, गया			अध्यक्ष (पदेन)
2	श्री नंगजी दोरजी	सिक्किम	बौद्ध	सदस्य सचिव
3	श्रीमती महाश्वेता महारथी	पटना	बौद्ध	सदस्य
4	श्री टी0 ओकोनोगी	राजगीर	बौद्ध	सदस्य
5	डा0 धम्मधियो	दार्जिलिंग	बौद्ध	सदस्य
6	श्री कृष्ण मांझी	गुरुआ	हिन्दू	सदस्य
7	डा0 अरविन्द कुमार सिंह	बोधगया	हिन्दू	सदस्य
8	महंथ श्री रमेश गिरी	बोधगया	हिन्दू	सदस्य
9	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा	पूर्व विधायक गुरुआ, गया	हिन्दू	सदस्य

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2020

No.. C/B.G.M-4702/01(Part)3830 /C—In exercise of the powers conferred under Section 3 of Bodhgaya Temple Act, 1949 (Bihar Act-17, 1949), the Governor of Bihar is hereby pleased to constitute the Bodhgaya Temple Management Committee in following manner for managing and controlling the land and assets of the Bodhgaya temple for next three years commencing from 17.07.2020 :-

1	District Magistrate , Gaya			Chairman (Ex-officio)
2	Shri Nangzey Dorjee	Sikkim	Bauddh	Member Secretary
3	Smt. Mahashweta Maharathi	Patna	Bauddh	Member
4	Shri T. Okonogi	Rajgir	Bauddh	Member
5	Dr. Dhammadhiro	Darjeeling	Bauddh	Member
6	Shri Krishna Manjhi	Gurua	Hindu	Member
7	Dr. Arvind Kumar Singh	Bodhgaya	Hindu	Member
8	Mahanth Shri Ramesh Giri	Bodhgaya	Hindu	Member
9	Shri Surendra Prasad Sinha	Former M.L.A., Gurua, Gaya	Hindu	Member

By order of the Governor of Bihar
SUNIL KUMAR,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 549-571+100-डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>